



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265373
CG-DL-E-12082025-265373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947

No. 499]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 543(अ).— भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 34 की अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना, संख्या सा.का.नि. 466(अ), तारीख 11 जुलाई, 2025, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारतीय वायुयान नियम, 2025 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि का अवसान होने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियम जनता को 14 जुलाई, 2025 को उपलब्ध करा दिए गए थे;

और जबकि, उक्त मसौदा नियमों पर टिप्पणियां भेजने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों और उक्त नियमों के व्यापक निहितार्थों पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव भेजने की समय-सीमा 19 अगस्त, 2025 तक बढ़ाती है।

[फा. सं. एवी-11012/3/2025-डी जी]

शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2025

G.S.R. 543(E).— Whereas, the draft of the Bharatiya Vayuyan Niyam, 2025 was published, as required by section 34 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), in the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, vide number G.S.R. 466(E), dated the 11th July, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said draft rules were made available to the public on the 14th July, 2025;

And whereas, considering the requests received from the stakeholders for extending the timeline of sending comments on the said draft rules and larger implications of the said rules, the Central Government hereby extends the timeline of sending objections or suggestions on the draft rules upto 19th August, 2025.

[F. No. AV-11012/3/2025-D G]

SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.